न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 648–दो/2009 विरूद्ध आदेश दिनॉक 31–7–2008 –पारित द्वारा – अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण क्रमांक 570 अ–19/2007–08 निगरानी

अच्छू पुत्र रटटी धोवी
ग्राम देरी तहसील बल्देवगढ़
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1– जनकिया पुत्र गुवन्दी धोवी
2– रामलाल पुत्र गुवन्दी धोवी
3– जसरथ पुत्र गुबन्दी धोबी
निवासीगण ग्राम सांतला (देरी)
तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0श्रीवास्तव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)
(अनावेदक –2 सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श
(आज दिनांक 9 –2 –2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 570 अ–19/2007–08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31–7–2008 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार खरगापुर ने आदेश दिनांक 15–3–1996 से आवेदकगण को ग्राम देरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 2378 रकबा 1.287 हैक्टर मध्य प्रदेश

कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत व्यवस्थापित की। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष निगरानी कमांक 44/06-07 प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 22-11-2007 से निगरानी स्वीकार कर नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 15-3-96 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर आयुक्त व्दारा प्रकरण कमांक 570 अ-19/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-7-2008 से निगरानी स्वीकार की एंव अपर कलेक्टर टीकमगढ़ का आदेश दिनांक 22-11-07 निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तंर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार खरगापुर ने आदेश दिनांक 15-3-1996 से आवेदकगण को ग्राम देरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 2378 रकबा 1.287 हैक्टर मध्य प्रदेश कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत व्यवस्थापित की है, जिसे अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 44/06-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22-11-07 से निरस्त किया है।

अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने अपर कलेक्टर के आदेश को इसलिये निरस्त किया है क्योंकि अपर कलेक्टर के समक्ष आवेदक ने अवधि-वाह्य निगरानी प्रस्तुत की थी। स्टेट आफ एम0पी0 विरूद्ध सवजीराम 1995 (2) म0प्र0वीकली नोट 193 का न्याय दृष्टांत है कि परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा -5 - अनुचित विलम्ब क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोद्भूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नंहीं किया जा सकता। आज की स्थिति में अनावेदकगण को भूमि आवंटित हुये 21 वर्ष से अधिक समय हो चुका है और इतनी लम्बी अवधि वाद आवेदक को निगरानी में सहायता पहुंचाई जाकर अनावेदकगण की आजीविका की कृषि भूमि शासकीय घोषित करना न्याय प्रकिया के विपरीत माना जावेगा, जिसके कारण अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण क्रमांक 570 अ-19/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-7-2008 में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण क्रमांक 570 अ-19/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-7-2008 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है एंव निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर